

न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क. क-553 / 2012

संस्थित दिनांक-10.07.2012

फाईलिंग नं.-2345030000332012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन।

// विरुद्ध //

कमलचंद मुरकुटे पिता गेंदलाल मुरकुटे, उम्र-47 साल,  
निवासी-ग्राम मोहगांव थाना मलाजखंड जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी।

// निर्णय //

(आज दिनांक-20.10.2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के तहत आरोप है कि दिनांक 07.04.2012 को 04:00 बजे शाम ग्राम गुदमा शासकीय हाईस्कूल थाना क्षेत्र बैहर में फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े जो कि शिक्षक होकर घटना के समय लोक सेवक की हैसियत से अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब आपने उसे उसके लोक कर्तव्यों से निवारित करने हेतु या भयोपरत करने हेतु फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े को मारपीट कर उसे स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े ने दिनांक 07.04.2012 को थाना बैहर में एक लिखित आवेदन पत्र आरोपी कमलचन्द्र मुरकुटे द्वारा मारपीट किये जाने, गाली-गलौच एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में दिया था। आवेदन पत्र अनुसार यह रिपोर्ट लेख कराई गई थी कि दिनांक 07.04.2012 को फरियादी शासकीय हाईस्कूल गुदमा में 09वीं कक्षा की परीक्षा में ड्यूटी कर रहा था तब आरोपी परीक्षा के कक्ष क्रमांक-2 में नकल लेकर आया और फरियादी द्वारा मना करने पर उसे माँ-बहन की अश्लील गाली देकर उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगा। आरोपी ने उससे घटना के समय मारपीट भी की थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बैहर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 53/12 धारा-186, 332, 353, 294 एवं 324 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी-नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस द्वारा आरोपी कमलचन्द्र मुरकुटे को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 332 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े ने आरोपी से राजीनामा किया है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 07.04.2012 को 04:00 बजे शाम ग्राम गुदमा शासकीय हाईस्कूल थाना क्षेत्र बैहर में फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े जो कि शिक्षक होकर घटना के समय लोक सेवक की हैसियत से अपने लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब आपने उसे उसके लोक कर्त्तव्यों से निवारित करने हेतु या भयोपरत करने हेतु फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े को मारपीट कर उसे स्वेच्छयापूर्वक उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी विद्याभूषण चौरागड़े (अ.सा.01) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी कमलचंद मुरकुटे को पहचानता है। आरोपी उसी स्कूल में भृत्य के पद पर पदस्थ है जिस स्कूल में वह सेवारत है। घटना दिनांक 07.04.2014 समय लगभग 4:15 बजे शासकीय हाईस्कूल गुदमा की है। घटना के समय वह गुदमा हाईस्कूल में कक्ष क्रमांक 02 में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था जहाँ 09वीं की परीक्षा हो रही थी, तब आरोपी कक्ष क्रमांक 02 में हाथ में नकल की चीट लेकर बिना अनुमति के प्रवेश किया और उसकी बेंच के पास आया, तब उसके द्वारा आरोपी को कक्ष से बाहर जाने के लिये कहा गया तो आरोपी कमलचंद ने उसकी कॉलर पकड़कर बेंच में पटक दिया और उसे दांत से उसकी टुड्डी पर काट दिया था जिससे खून निकलने लगा। दूसरे कक्ष के शिक्षक विजय कुमार एवं ब्रम्हनोटे ने आकर बीचबचाव किया था। उसने प्र.पी. 01 की शिकायत थाना बैहर में प्रस्तुत की थी जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 दर्ज की थी जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बतायेनुसार घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसका मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में कराया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी पानी पिलाने के लिये कक्षा में

आया था परन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना में उसने आरोपी के साथ मारपीट की थी तथा आरोपी नकल करवाने के लिये कक्ष में नहीं आया था।

6— साक्षी अशोक कुमार वासनिक(अ.सा.02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को जानता है। घटना के समय वह 09वीं की परीक्षा दे रहा था। घटना के समय पर्यवेक्षक विद्याभूषण चौरागड़े थे। आरोपी कमलचंद हाथ में कागज लेकर आया था तब विद्याभूषण ने उसे बाहर जाने कहा था, तब आरोपी व फरियादी के बीच हाथापाई हो गई थी। हाथापाई में विद्याभूषण चौरागड़े को टुड्डी में चोट आई थी जहाँ आरोपी ने उसे काटा था। उसके द्वारा बीचबचाव किया गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी घर पर ट्यूशन पढ़ाता है परन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि इसी वजह से आरोपी के विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया था।

7— साक्षी नरेन्द्र कुमार (अ.सा.03) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह प्राथमिक शाला गुदमा में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी एवं फरियादी को जानता है। घटना दिनांक 07.04.2012 की है। उसकी ड्यूटी पांचवी की कापियों के मूल्यांकन के लिये गुदमा स्कूल में थी जहाँ वह कापियों का मूल्यांकन कर रहा था। घटना के समय कक्षा नवमी की परीक्षा चल रही थी, तभी 4:00-4:15 बजे नकल मत बताओ और चिल्लाने की आवाज आई। विद्याभूषण चौरागड़े की पर्यवेक्षक की ड्यूटी थी। फरियादी, आरोपी को बोल रहा था कि नकल लेकर क्यों आये हो तब उसने जाकर देखा तो आरोपी एवं फरियादी की आपस में मारपीट हो रही थी। आरोपी ने फरियादी को मादरचोद की गालियाँ दिया था एवं दांत से फरियादी की टुड्डी पर काट दिया था जिससे खून निकल रहा था। पर्यवेक्षक की ड्यूटी कक्षा क्रमांक 02 में लगी थी। सोनवाने, टी.आर. चौधरी, के.एस. कल्हारे एवं छात्र अशोक वासनिक ने बीचबचाव किये थे। आरोपी घटना के बाद भाग गया था। फरियादी को उठाकर अस्पताल ले गये थे जहाँ उसका ईलाज हुआ था। उक्त घटना से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के संबंध में उसने पुलिस को बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी के हाथ में नकल का कागज नहीं देखा था परन्तु इस बात से इंकार किया है कि फरियादी ने आरोपी को धकेल दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः कहा है कि वह घटना फरियादी के बतायेनुसार नहीं बता रहा है बल्कि जो उसने देखा था वही बता रहा है।

8— साक्षी विद्यानंद (अ.सा.04) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह प्राथमिक शाला गुदमा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर सहायक पदस्थ था।

वह आरोपी एवं फरियादी को जानता है। घटना दिनांक को नवमी की परीक्षा चल रही थी। घटना कक्ष क्रमांक 02 की है। कक्ष क्रमांक 02 के पर्यवेक्षक विद्याभूषण चौरागड़े थे। आरोपी कमलचंद हाईस्कूल गुदमा में चपरासी के पद पर पदस्थ है। परीक्षा अवधि के समय आरोपी कमलचंद का कार्य उत्तर पुस्तिका में सील लगाना एवं कक्षाओं में जाकर छात्रों को पानी पिलाना तथा पर्यवेक्षक द्वारा बताये कार्य को करना था। उसने आरोपी कमलचंद का कर्तव्य प्रमाण पत्र थाना प्रभारी को दिया था जो प्र.पी.04 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया था और अन्य कोई कार्यवाही नहीं किया था।

9— साक्षी रामभजन साहू(अ.सा.05) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को वह आरक्षी केन्द्र बैहर में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक 07.04.2012 को फरियादी विद्याभूषण की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.02 प्रधान आरक्षक जगुलाल वाघाड़े के द्वारा लेख की गई थी जिसके बी से बी भाग पर आरक्षक जगुलाल के हस्ताक्षर है। उसके हस्ताक्षर वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। दिनांक 09.04.2012 को अपराध क्रमांक 53/13 धारा— 186, 332, 353 एवं 294 भा.दं.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को घटनास्थल जाकर फरियादी की निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को फरियादी एवं गवाह दीपक यादव, विद्यानंद सोनवाने, अशोक कुमार वासनिक, नरेन्द्र कुमार साव, विजय कुमार चौकसे के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्र.पी.05 के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फरियादी घटना दिनांक को 1:30 बजे से 5:00 बजे तक अपने कार्य पर उपस्थित था जिसके संबंध में प्रमाण पत्र प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल गुदमा से प्राप्त किया गया था। घटना दिनांक को ही आरोपी की ड्यूटी भी उसी स्कूल में थी जिसके संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की थी। शेष प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है जो अभियोजन कहानी के विपरीत हो।

10— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के अन्तर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी विद्याभूषण चौरागड़े अ.सा.01 ने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को जब वह अपने शासकीय कार्य में स्कूल के कक्ष क्रमांक-2 में पर्यवेक्षक का कार्य कर रहा था तब आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट की थी। यह विवाद आरोपी द्वारा कथित रूप से



नकल कराये जाने की बात को लेकर हुआ था। घटना का समर्थन अभियोजन साक्षी अशोक अ.सा.02, नरेन्द्र अ.सा.03 ने किया है और कहा है कि घटना के समय आरोपी तथा फरियादी के बीच वाद विवाद हुआ था और आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की थी। घटना के समय फरियादी शासकीय सेवा में होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, इस बात को प्रमाणित अभियोजन साक्षी विद्यानंद अ.सा.04 ने किया है और कहा है कि फरियादी को प्र.पी.04 का प्रमाण पत्र उसके कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में दिया गया था। घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक 07.04.2012 को ही लेख कराई गई थी यह बात प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित है। विवेचक रामभजन साहू ने विवेचना की कार्यवाही अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। साक्षी विद्याभूषण अ.सा.01 ने यह कहा है कि घटना के समय आरोपी ने उसे काटा था जिससे खून निकला था। यही बात साक्षी अशोक कुमार वासनिक अ.सा.02 तथा नरेन्द्र कुमार अ.सा.03 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट की है। प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षीगण इस बिंदु पर अखण्डित रहे हैं कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को कोई चोट कारित नहीं की थी। इस प्रकार अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को फरियादी शासकीय सेवा में था और आरोपी के द्वारा लोक सेवक फरियादी विद्याभूषण को उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित की गई। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

**11—** आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से आरोपी को परीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला बालाघाट

**पुनश्च:—**

**12—** आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उभयपक्ष के मध्य अब मधुर संबंध हो गये हैं और वे एक ही संस्था में कार्यरत हैं। आरोपी द्वारा यह प्रथम अपराध किया गया है इसलिये उसे सरल दंड दिया जावे। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

धटना वर्ष 2012 की है और आरोपी लगभग चार वर्ष से विचारण का सामना कर रहा है। आरोपी नवयुवक है और उसे कारागार भेजे जाने से उसकी प्रवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होना भी बताया गया है इसलिये आरोपी को सरल दंड दिया जाना ही उचित होगा। आरोपी को न्यायालय अवसान अवधि तक का साधारण कारावास तथा 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

**13—** आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**14—** प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

**15—** आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

**16—** प्रकरण में कोई संपत्ति पेश नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—  
(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सही /—  
(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट